रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2008/अश्विन 7, 1930
No. 530] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2008/ASVINA 7, 1930

IndiaCode

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

**सा.का.नि. 693(अ).**—केन्द्रीय सरकार सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [पैकेजिंग एवं लेबलिंग (संशोधन) नियम], 2008 है ।

(2) ये 30 नवम्बर, 2008 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में नियम 3 में, —

(i) उप-नियम (ङ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) किसी भी उत्पाद की तब तक बिक्री नहीं की जाएगी जब तक कि पैकेज में विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी निहित न हो:

परन्तु यह कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रत्येक उस फुटकर पैकेज जिसमें तम्बाकू उत्पाद सामान्यतया उपभोक्ता के इस्तेमाल या फुटकर बिक्री के लिए हैं तथा किसी अन्य बाह्य पैकेजिंग जैसे कि कार्टनों या बाक्सों पर मुद्रित की जाएगी, चिपकायी जाएगी अथवा लगायी जाएगी और इसमें अन्य पैकेजिंग जैसे कि बोरी शामिल नहीं होगी ।"

(ii) उप-नियम (च) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(च) विनिर्दिष्ट चेतावनियां पैक पर प्रयुक्त भाषा/भाषाओं में अंकित की जाएंगी :

परन्तु यह कि जहां पैक पर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी दो भाषाओं में होगी, एक उस भाषा में जिसमें ब्रांड नाम प्रकाशित है तथा दूसरी उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में होगी जहां उत्पाद की बिक्री की जा रही है।"

[फा. सं. पी-16011/7/2005-पी एच]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** :— मूल नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि. 182(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

**(Department of Health and Family Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2008

**G.S.R. 693(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely :—

**1. Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products [Packaging and Labelling (Amendment) Rules], 2008.

(2) They shall come into force on the 30th November, 2008.

**2.** In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008 in rule 3,—

(i) for sub-rule (e), the following shall be substituted, namely:—

"(e) no product shall be sold unless the package contains the specified health warning :

Provided that the specified health warning shall be printed, pasted or affixed on every retail package in which the tobacco product is normally intended for consumer use or retail sale, as well as any other external packaging, such as cartons or boxes and will not include other packaging such as gunny bags;"

(ii) for sub-rule (f), the following shall be substituted, namely:—

" (f) the specified warnings shall be inscribed in the language/s used on the pack :

Provided that where more than one language is used on the pack the specified warning shall appear in two languages, one in which the brand name appears and the other in the local language of the area where the product is being sold."

[F. No. P-16011/7/2005-PH]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

**Note :**— The Principal rules were published *vide* No. G.S.R. 182(E), dated 15th March, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.